



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY  
A Central University established by an Act of Parliament  
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

संख्या.एफ .1(121)/ला.बा.शा.रा.सं.वि/मा.प्र/2021-21/

दिनांक: 17/05/2021

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या F.14-1/2021 (CPP-II) दिनांक 10/05/2021 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी की वर्तमान चुनौती से निपटने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिक तथा छात्रों की कोविड-19 संबंधित समस्याओं को दूर करने एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक कोविड टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार से है :-
  - (i) श्री राजेश कुमार, - प्रभारी अधिकारी  
सहायक कुलसचिव (विकास)
  - (ii) श्री बनवारी लाल वर्मा, - सदस्य  
संगणक प्रमुख
  - (iii) श्री अशोक कुमार - नोडल अधिकारी  
सहायक
  - (iv) श्री यू. के. स्वामी - सपोर्टिंग स्टाफ  
मेडिकल अटेंडेंट
  - (v) श्री श्रवण कुमार - सपोर्टिंग स्टाफ  
स्टाफ कार ड्राइवर

श्री अशोक कुमार, सहायक को कोविड टास्क फोर्स का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा कोविड आपातकाल हेतु निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर जारी किये जाते हैं :-

- (i) 9015237014 (श्री अशोक कुमार)
- (ii) 011-46060511 (प्रशासन - I)
- (iii) 011-46060642 (हेल्थ केयर यूनिट)

2. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिक तथा उनके आश्रित यदि कोविड-19 से संक्रमित होते हैं तो तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी (कोविड टास्क फोर्स) को उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर आवश्यक सहायता हेतु सूचित करें।

3. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्टाफ क्वार्टरों में रहने वाले समस्त कार्मिकों को सलाह दी जाती है कि घर से कोई व्यक्ति यदि आवश्यक कार्य से बाहर जाये तो मास्क अवश्य लगायें। बिना मास्क के बाहर निकलने पर भारत सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी व जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले समस्त अभिभावकों को यह सुझाव दिया जाता है कि इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए बच्चों को घर से बाहर खेलने से रोके ताकि खेलकूद के लिए बच्चों का समूह न बने।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

जे. पी. सिंह  
17/05/2021

सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

(क. पू. उ.)

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी अधिकारी / सीटल अधिकारी / सहायक / असिस्टेंट क्लर्क , सीनियर क्लर्क प्रोबर्ट
2. सहायक संकायप्रमुख / विभागाध्यक्ष
3. विशेषकार्यधिकारी (परीक्षा)
4. निदेशक (आई. एच. ए. सी.) / प्रीक्टर / सुधारा आयोग अधिकारी / छात्रावास अधिकारी
5. उप कुलसचिव (परीक्षा) / उप-कुलसचिव (लेखा)
6. अधिशासी अधिकारी
7. सहायक पुरतबालयाध्यक्ष
8. सहायक प्रमुख को इस आदेश को प्रेषित कि उस आदेश को विश्वविद्यालय के कक्षाएं पर प्रदर्शित करें
9. सहायक सहायक कुलसचिव
10. सहायक अनुभाग अधिकारी
11. सिविलीयरी सुपरवाइजर
12. सहायक सूचना पट्ट
13. संबंधित पंजीवत
14. कार्यालय आदेश पंजीवत

जे. वी. सिंह  
कुलसचिव

(वे.सी.सि.)

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)